राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन,

तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ.20(611)एनएचएम / एचआर / राजहैल्थ / 2025 335 दिनांक 12.2.25

–:आदेश:–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा संविदा नर्स के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग के **"राजहैल्थ पोर्टल"** के माध्यम से नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी किये जाने है।

अतः सम्बन्धित नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाईट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे **www.rajhealth.rajasthan.gov.in** पर लॉग–इन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए, संलग्न दिशा–निर्देशानुसार अपने पदस्थापन स्थान हेतु जिले वार विकल्प प्रस्तुत करें।

वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन हेतु दिनांक 12.02.2025 सायं 05.00 बजे से 26.02.2025 रात 12 बजे तक जिले वार विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगें। इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना / विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(संतोष कुमार गोयल)
परियोजना निदेशक,
एनएचएम

परियोजना निदेशक
एनएचएम

Signature valid
Digitally signed by Santosh Kumar Goyal
Designation : Project Director
Date: 2025.02.12 15:42:17 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता– स्वास्थ्य भवन,तिलक मार्ग,सी स्कीम, जयपुर
दूरभाष नम्बर – 0141 2220289

RajKaj Ref No.: 13555281

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनएचएम मुख्यालय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

नर्स पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश

1. नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राजहैल्थ पॉर्टल पर उनके द्वारा विज्ञप्ति में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से लॉग–इन करना होगा।
2. लॉग–इन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण इन्द्राज करना होगा जिसके उपरान्त जिला आवंटन हेतु विकल्प चयन का प्रारूप प्रारम्भ होगा।
3. यदि अभ्यर्थी के पति/पत्नि द्वारा भी उक्त भर्ती में भाग लिया गया हो तो उसकी सूचना तथा पति/पत्नि के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने की सूचना का इन्द्राज किया जायेगा। उक्त की पुष्टि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जायेगी एवं गलत/झूठी सूचना अंकित करने पर सम्बन्धित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को टीएसपी एवं नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार जिले विकल्प भरने हेतु उपलब्ध रहेंगे। प्रदर्शित होने वाले सभी जिलों का क्रमवार **विकल्प भरना अनिवार्य होगा।** जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑपश्न नहीं होगा।
6. पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर कॉउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा की वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्तानुसार रिक्तियां भरने के उपरान्त शेष रही रिक्तियों पर रेण्डम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है।
9. विभाग द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी जिले में प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है।